न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

आसीन अधिकारी –हरीसिह लंम्बोरा आर0 ए0 एस0
अपील संख्याः 03 / 2019

लीला पुत्र भीमा पत्नी काशीराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम मसूदपुरा तहसील व जिला धौलपुर

....अपीलान्ट

बनाम

1–सरपंच ग्राम पंचायत मालोनी खुर्द तहसील सैपऊ 2–दीपा 3–संतो पुत्रगण भीमा 4–श्रीराम पुत्र रामरती पत्नी गंगाराम जातिगण कुशवाह निवासीगण मालोनीखुर्द तहसील सैपऊ

....रेस्पो0

अपील विरूद्व नामा. संख्या 1028 दिनांक 07.07.1995 ग्राम पंचायत मालोनीखुर्द

उपस्थिति– 1–श्री रामअवतार गौड – अपीलान्ट्

निर्णय दिनांक 01.08.2019

अपीलान्ट की ओर से अपील दिनांक 10.07.2019 को न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की कि ग्राम पंचायत कनासिल ग्राम मालोनी खुर्द के नामान्तकरण संख्या 1028 के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट एंव रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता व रेस्पो0 संख्या 4के नाना भीमा थे तथा मुताविक हिस्सा उपरिवर्णित आराजीयात में काविज काश्त रहे। भीमा पुत्र सुन्दरा का निधन दिनांक 10.10.1993 को वकजा इलाई हो गया। भीमा पुत्र सुन्दरा के निधनोपरान्त उसकी बेवा रम्मो पुत्रियां लीला, बतसिया, संतो, रामरती तथा दीपा को वारिसान व कायम मुकामान के रूप में छोडा जिन्होने मृतक भीमा का समस्त तर्का मुताविक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व हिस्सा वराबर विरासतन प्रकान्त हुआ। इस प्रकार अपीलान्ट मृतक भीमा पुत्र सुन्दरा द्वारा छोडी हुई आराजी में रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के साथ वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा मुताविक हिस्सा संयुक्त रूप से काविज काश्त है। रम्मो पत्नी भीमा का निधन हो गया है तथा जिसका समसत तर्का अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 4 एंव पुत्री बतसिया पर वहिस्सा बराबर प्रकान्त हुआ। बतसिया ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा रिलीज कर दिया है जिससे बतसिया को उपरोक्त आराजी में कोई हित निहित नही है। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने रेस्पो0 संख्या 1 भीमा पुत्र सुन्दरा के निधन के उपरान्त सम्पूर्ण विवादित आराजीयात का अपने नाम दाखिला खारिज करका लिया है जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट निम्नलिखित आधारो पर अपील प्रस्तुत कर रही है जिससे अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। तहत नामा0 आदेश ग्राम पंचायत मालोनीखुर्द बखिलाफ कायदे कानून वरूयेदार मिसिल के है। तहत नामा0 आदेश पारित करने से पूर्व मृतक भीमा पुत्र सुन्दरा के वारिसानो की किसी प्रकार जांच पडताल नही की तथा समस्त कार्यवाही अवैद्य रूप से की है जिससे अपीलाधीन नामा0 आदेश सरपंच ग्राम पंचायत मालोनीखुर्द प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। तहत नामा0 आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जोकि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत है तथा काविल खारिजी के

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

तहत नामा0 आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 01.07.2019 को हल्का पटवारी से हुआ जिसकी नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2019 को पेश किया जिसकी नकल दिनांक 04.07.2019 को प्राप्त हुई। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत कर रही है जिससे अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत नामान्तकरण आदेश संरपच ग्राम पंचायत मालोनीखुर्द तारीखी 07.07.1995 बाबत् नामान्तकरण संख्या 1028 वाके ग्राम मालोनीखुर्द मन्सूख फरमाया जावें एंव निरस्त किया जावे ।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलव किये गये। दिनांक 31.07.2019 को रेस्पो0 संख्या 2 स्वंय उपस्थित आये तथा अपील स्वीकार करने में मौखिक रूप से अनापत्ति जाहिर की तथा दस्तावैजी साक्ष्य में कोई दस्तावैज प्रस्तुत नही किये।

एकपक्षीय बहस सुनी । बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में लिखो तथ्यो को दौहराया एंव अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया। दस्तावैजो एंव बहस से पूर्णतय संतुष्ट है। हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अपीलाधीन आदेश नामा0 संख्या 1028 दिनांक 07.07.1995 ग्राम पंचायत मालोनीखर्द निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक भीमा के समस्त विधिक वारिसानो को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुन : नामा0 की कार्यवाही की जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिंह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ